अनुसूची 14 कमांक 563

आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा

एरिया सीलिंग वाद संख्या- 11/2012

09/04/19

श्रीमति रंजु देवी पति श्री मंटु यादव सा0 मौजा- बराही टोला हसनपुर थाना वो अंचल- मधेपुरा, जिला- मधेपुरा- **प्रथम पक्ष**

बनाम

1.कृष्ण मोहन गुप्ता वो 2.मनमोहन गुप्ता पिता स्व0 बद्री गुप्ता सा0 मौजा- बराही टोला हसनपुर भाया सिहेंश्वर थाना वो अंचल-मधेपुरा, जिला- मधेपुरा-**द्वितीय पक्षगण-1**

3. उपेन्द्र साह पिता स्व0 रणजीत साह सा0 मौजा- बराही टोला हसनपुर थाना वो अंचल-मधेपुरा, जिला- मधेपुरा - द्वितीय पक्ष-2

4. देवचन्द्र प्रसाद यादव पिता स्व0 मांगैन यादव **सा0 मौजा- बराही टोला हसनपुर थाना वो अंचल-मधेपुरा, जिला- मधेपुरा - द्वितीय पक्ष-3**

-: आदेश :-

बिहार गजट (असाधारण अंक) सं0 एल0जी0 01-15/2018/1570/लेज- दिनांक 25 फरवरी 2019 के माध्यम से यथा संशोधित अधिनियम 2019 के द्वारा बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम 1961 की धारा 16 की उप नियम (3) को निरस्त कर दिया गया है। उक्त उपनियम (3) की जगह नई उप धारा (4) जोड़ी गई है, जिसके अनुसार :-

" (4) (i) इस अधिनियम की धारा 16 की उप धारा (3) के निरसन के पश्चात राज्य सरकार राजस्व, बिहार भूमि न्यायाधीकरण, प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता अथवा किसी अन्य न्यायालय में लंबित सभी मामले अथवा कार्यवाही उपशमित समझी जाएगी।

(ii) इस अधिनियम की धारा 16 की उप धारा (3) के निरसन के अनुशरण में पहले वैद्य रूप से जमा की गई कय राशि, उसके 10 प्रतिशत की समतुल्य राशि के साथ जमाकर्त्ता को बिना सूद के लौटा दी जाएगी।"

उपर्युक्त तथ्यों आलोक में इस वाद की कार्यवाही समाप्त करते हुए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि निम्न न्यायालय में इस निमित्त **जमा की गई कय राशि, उसके 10 प्रतिशत की समतुल्य राशि के साथ जमाकर्त्ता को बिना सूद के लौटा दी जाए।**

आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

आदेश की प्रति निम्न न्यायालय अभिलेख सहित भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, मधेपुरा एवं अंचल अधिकारी, मधेपुरा को अनुपालनार्थ भेजें।

ह0 —
अपर समाहर्त्ता,
मधेपुरा।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

ह0 —
अपर समाहर्त्ता,
मधेपुरा।

डी0बी0नं0................../न्याया0........................./2019

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, मधेपुरा को आदेश की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को आदेश की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता,
मधेपुरा।

डी0 बी0 नं0......137........../न्याया0, दिनांक 09-4-......./2019

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सूचना विज्ञान केन्द्र, समाहरणालय, मधेपुरा को Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता,
मधेपुरा।